

6.10.25

पत्रावली चंभ डुई' वकुलाय धक्षकार अनुपस्थित

न्यायालय द्वारा पक्षकारों को भागने लगावाई गई।  
वाकजूद इसके काई उपस्थित न्यायालय समय समाप्ति  
तक नहीं हुआ। प्रकरण में पूर्व में दिनांक 23.6.25,  
9.9.25, 29.9.25 को उपस्थित होने के अवसर दिखाने  
के बाद भी उपस्थित नहीं होने से जाहिर है कि वे अपने  
वाद के प्रति गंभीर नहीं हैं तथा इसे चलावा नहीं चाहते  
हैं।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 3 के तहत अदम्य  
हानदी - अदम्य पेशी में आरिज किया जाता है निर्णय  
सोड जलात सुनाया गया। प्रकरण फंजल शुमार होकर  
तम्बर से रूप हो।

(अबुला काई डुई)

IAS

न्यायालय के अधिकारी का नाम  
न्यायालय का नाम  
न्यायालय का नाम